



सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं०-25/2023

दिनांक- 21 -जनवरी- 2023

प्रेस विज्ञप्ति

थाना-महराजगंज

अवैध गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 20.01.2023 को थानाध्यक्ष कमलकान्त वर्मा व उ०नि० सुबाष चन्द्र दूबे मय हमराह द्वारा अभियुक्त रामप्रीत तिवारी पुत्र स्व० भगवती तिवारी सा० देवनपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ को 01 किलो 500 ग्राम गांजा के साथ एमपीसी पब्लिक स्कूल बहद ग्राम देवनपुर से समय करीब 21.10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त खिलाफ मु०अ०सं० 023/2023 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम,1985 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 023/2023 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम,1985

आपराधिक इतिहास-

| क्र०सं० | मु०सं०अ० | धारा | थाना | जनपद |
|---------|----------|--------------------|----------|--------|
| .1 | 162/2022 | 60(1) आबकारी अधि० | महराजगंज | आजमगढ़ |
| 2. | 273/2022 | 8/20 एनडीपीएस एक्ट | महराजगंज | आजमगढ़ |
| 3. | 316/2022 | 8/20 एनडीपीएस एक्ट | महराजगंज | आजमगढ़ |
| 4. | 23/2023 | एनडीपीएस एक्ट | महराजगंज | आजमगढ़ |

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

अभियुक्त रामप्रीत तिवारी पुत्र स्व० भगवती तिवारी सा० देवनपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

01 किलो 500 ग्राम नाजायज गांजा बरामद होना ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

SO कमलकान्त वर्मा व उ०नि० सुबाष चन्द्र दूबे मय हमराह

थाना- महराजगंज

अपमिश्रित शराब बनाने व रखने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी की विवरण- आज दिनांक 21.01.23 को उ०नि० सुधीर पाण्डेय मय हमराह द्वारा राकेश यादव पुत्र पारसनाथ यादव सा० मठिया मढ़ई धुसवा थाना रौनापार आजमगढ़ को गोपालपुर भट्टे से समय करीब 7.00 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से दो गैलन में 20-20 लीटर कुल 40 लीटर अपमिश्रित शराब व 1 किलो युरिया, 500 ग्राम फिटकरी व शराब बनाने का सामान बरामद हुआ । अवैध अपमिश्रित शराब बनाने व रखने के कारण अभियुक्त के विरुद्ध मु०अ०सं० 24/23 धारा 272, 273 IPC व 60(1) व 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किय गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 24/23 धारा 272, 273 IPC व 60(1) व 60(2) आबकारी अधिनियम

गिरफ्तार अभियुक्त-

राकेश यादव पुत्र पारसनाथ यादव सा0 मठिया मढ़ई धुसवा थाना रौनापार आजमगढ़

बरामदगी-

20-20 लीटर की जरिकैन में कुल 40 लीटर अमिश्रित शराब व 1 किलो युरिया, 500 ग्राम फिटकरी व शराब बनाने का सामान बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

SO श्री कमलकान्त वर्मा के व उ0नि0 सुधीर पाण्डेय मय हमराह थाना रौनापार आजमगढ़

थाना-निजामबाद

नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण – दिनांक 17.05.22 को वादिनी थाना निजामबाद जनपद आजमगढ़ थाने पर लिखित तहरीर दिया गया कि वादिनी की नतीनी को अभियुक्त सचिन पुत्र राजेन्द्र निवासी मानपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा बहला फुसला कर भगा ले जाया गया। तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 181/22 धारा- 363,366 भादवि बनाम सचिन पुत्र राजेन्द्र निवासी मानपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया। बाद विवेचना धारा 376, भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गई।

गिरफ्तारी का विवरण – आज दिनांक 21.01.2023 को उ0नि0 सुल्तान सिंह मय हमराह द्वारा अभियुक्त सचिन पुत्र राजेन्द्र निवासी मानपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को कस्बा निजामबाद से समय करीब 10.20 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 181/22 धारा- 363,366,376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

सचिन पुत्र राजेन्द्र निवासी मानपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 सुल्तान सिंह मय हमराह थाना निजामाबाद, आजमगढ़

थाना सिधारी

लूटी गयी मोबाईल व घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार व 02 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

पूर्व की घटना – दिनांक 07.01.2023 को वादी दिलीप कुमार भारती पुत्र लालमन निवासी चकडीह पोस्ट मतौलीपुर द्वारा आन लाईन ई-एफआईआर किया गया कि मिल्कीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर भदुली पुल के पहले उसके भाई जिसका मोबाईल का नम्बर 8052208104, IMEI NO 861066059005750 ओप्पो ए-16 है को अज्ञात व्यक्ति द्वारा छीन कर भाग जाया गया। जिसके सम्बन्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 14/2023 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण – दिनांक 20.01.2023 को उ0नि0 अवधेश कुमार, मय हमराह व स्वाट टीम प्रभारी उ0नि0 विनय कुमार दूबे मय हमराह द्वारा घटना का अनावरण करते हुए समय 21.20 बजे भदुली बाजार के पहले ओवर ब्रिज के पास मुकदमा उपरोक्त में लूटी गयी मोबाईल व घटना में प्रयुक्त की गयी मोटर साईकिल पल्सर यू0पी0 62 ए0जी0 0139 के साथ तीन, अभियुक्तों 1. आशीष यादव पुत्र रमेश यादव निवासी हरिहरपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया तथा 02 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

पंजीकृत अभियोग –

म0अ0सं0- 14/2023 धारा 392/411/34 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़ ।

नाम पता अभियुक्त

1. अभियुक्त आशीष यादव पुत्र रमेश यादव निवासी हरिहरपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़
2. बाल अपचारी
3. बाल अपचारी

बरामदगी

एक अदद लूटी गयी मोबाईल एण्ड्रायड ओप्पो ए-16 IMEI N0. 861066059005750 रंग काला व घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल पल्सर नं0 यू0पी0 62 ए0जी0 0139

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. उ0नि0 श्री अवधेश कुमार मय हमराह थाना सिधारी
2. उ0नि0 श्री विनय कुमार दूबे प्रभारी स्वाट टीम मय हमराह

थाना- सिधारी

चोरी व लूट की घटना को अंजाम देने का प्रयास करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 20.1.2023 को उ0नि0 कमलनयन दूबे मय हमराह द्वारा दो अभियुक्तो 1-बदरे आलम उर्फ राजा पुत्र मो0 हसनैन सा0 सठियाव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़। 2- दुर्गेश यादव उर्फ निरहू पुत्र गोरख यादव सा0 सुदाई थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को रेलवे स्टेशन मोड़ के करीब प्राथमिक विद्यालय के पास से समय करीब 11.00 PM बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त1-बदरे आलम उर्फ राजा पुत्र मो0 हसनैन सा0 सठियाव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के पास से एक अदद तमंचा व जिन्दा कारतूस 315 बोर व दूसरे अभियुक्त दुर्गेश यादव उर्फ निरहू पुत्र गोरख यादव सा0 सुदाई थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ । के पास से एक अदद लोहे की सरिया लम्बाई करीब एक हाथ बरामद किया गया । जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 38/2023 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम व मु0अ0सं0 39/2023 धारा 398/401 भादवि पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग -

1. मु0अ0सं0- 38/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़
2. मु0अ0सं0- 39/23 धारा 398/401 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त बदरे आलम उर्फ राजा पुत्र मो0 हसनैन सा0 सठियाव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 39/23 धारा 398,401 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 38/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी , आजमगढ़ ।
3. मु0अ0सं0 267/21 धारा 3/5/8 गोबध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 338/22 धारा 3/25/7 आयुध अधिनियम थाना मुबारकपुर आजमगढ़ ।

अभियुक्त दुर्गेश यादव पुत्र गोरख निवासी सुराई थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 39/23 धारा 398,401 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

नाम पता अभियुक्त

- 1-बदरे आलम उर्फ राजा पुत्र मो0 हसनैन सा0 सठियाव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।
- 2- दुर्गेश यादव उर्फ निरहू पुत्र गोरख यादव सा0 सुदाई थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ।

बरामदगी

अभियुक्त बदरे आलम उपरोक्त के कब्जे से एक अदद तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा अभियुक्त दुर्गेश यादव के कब्जे से एक अदद लोहे की सरिया लम्बाई करीब एक हाथ का बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1.उ0नि0 कमलनयन दूबे मय हमराह थाना सिधारी, आजमगढ़ ।

थाना सिधारी

गंभीर रूप से मारपीट की घटना में एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 14.01.2023 को वादी विरेन्द्र राजभर पुत्र रामधारी राजभर निवासी समेंदा मठिया थाना सिधारी आजमगढ़ थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्तगण 1. इन्दल मौर्या पुत्र बासुदेव मौर्या 2. आशीष मौर्या 3. दिलीप मौर्या पुत्रगण इन्दल मौर्या 4. अमरजीत मौर्या पुत्र बासुदेव मौर्या निवासीगण समेंदा मठिया थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को वादी द्वारा खूटे में बँधे जानवर को खोलकर हटाने के लिए कहने पर वादी को गाली गुफ्ता देते हुए लाठी डण्डे व खुर्पी से मारा पीटा गया व जान से मारने की धमकी दि गयी जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 20/23 धारा 34/323/504/506/308 पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- उ0नि0 नरेन्द्र विक्रम सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त अमरजीत मौर्या पुत्र बासुदेव मौर्या निवासी समेंदा मठिया थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को ग्राम इटौरा से समय करीब 12.40 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग -

1.मु0अ0सं0- 20/2023 धारा 34/323/504/506/308 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़ ।

नाम पता अभियुक्त

1.अमरजीत मौर्या पुत्र बासुदेव मौर्या निवासी समेंदा मठिया थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

1 मु0अ0सं0- 20/2023 धारा 34/323/504/506/308 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1.उ0नि0 नरेन्द्र विक्रम सिंह मय हमराह थाना सिधारी आजमगढ़ ।

थाना बिलरियागंज

गिरफ्तारी 01 नफर वांछित अभियुक्त

दिनांक 21.01.2023 को उ0नि0 श्याम सिंह यादव मय हमराह द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 036/023 धारा 323/308/504/506 भादवि से संबंधित अभियुक्त प्रवीण यादव पुत्र रामशब्द यादव साकि0 जमुआ सागर थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर ग्राम जमुआ सागर से समय करीब 7.30 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

प्रवीण यादव पुत्र रामशब्द यादव सा0 जमुआसागर थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ ।

अपराधिक इतिहास -

मु0अ0सं0 036/2023 धारा 323/308/504/506 भादवि

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

उ0नि0 श्याम सिंह यादव मय हमराह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।